| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

22.11.2024

पत्रावली पेश। पत्रावली में अपीलांट गंगाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस पूर्व पेशी पर सुनी जा चुकी है। उक्त प्रार्थना पत्र के आदेश हेतु पेश हुई।

अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम की बहस में कथन किये कि प्रार्थी बूंट पॉलिस का काम कर अपना व अपने परिवार का पेट पालता हूं प्रार्थी बिलकुल निरक्षर अनपढ़ व्यक्ति है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि की जमाबंदी प्रमाणित प्रतिलिपि व इंतकाल प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने से दिनांक 03.08.2023 को ज्ञान हुआ कि विरास्तन इंतकाल नम्बर 34 चक 18 व 19 एसटीजी दिनांक 26.07.1984 कार्यालय तहसीलदार (भू0अ0) हनुमानगढ व कार्यालय उपतहसीलदार (भू0अ0) डबलीराठान के विरास्तन इंतकाल संख्या 707 दिनांक 03.06.2023 में वारिसान को छुपाकर इंतकाल दर्ज किये गये है व पूर्व इंतकाल में प्रार्थी की माता का नाम दर्ज नहीं किया गया है। जिसके पश्चात प्रार्थी ने एक एफआईआर संख्या 299/2023 पुलिस थाना सदर में अर्न्तगत धारा 420, 647, 468 आईपीसी के तहत रेस्पोडेंसट संख्या 1 ता 14 के विरूद्ध दर्ज करवाई थी जिसमें उक्त इंतकाल में वारिस छुपाना पाया गया है व जांच अधिकारी ने दिनांक 29.06.2024 अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। जिसके बाद प्रार्थी ने दस्तावेज नकल प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया व फीस आदि का इन्तजाम कर आज बिना किसी देरी के अविलम्ब यह अपील ज्ञान से अन्दर मियाद प्रस्तुत कर रहा है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को न्यायहित में क्षमा फरमाते हुए अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद ग्रहण फरमाया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 04, 06 ता 14 ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि अपीलांट को आपेक्षित इंतकालों का सदैव से ज्ञान रहा है। इसी वजह से अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में इतने सालों तक राजस्व अभिलेख नहीं देखने के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किये है, ताहम भी अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में इंतकाल की नकल दिनांक 03.08.2023 को लेने पर इंतकाल का ज्ञान होने के कथन किये है। यदि एक क्षण के लिये यह मान भी लिया जावें कि अपीलांट को आपेक्षित इंतकाल का ज्ञान दिनांक 03.08.2023 को हुआ है तो भी उसके 30 दिन में अपील प्रस्तुत की जा सकती थी। स्वयं अपीलांट के अभिवचनानुसार अपील इंतकाल की नकल ... करीब 13 माह बाद प्रस्तुत की गई हैं, जो पूर्णतया मियाद बाहर है, देरी के संबंध में अपीलांट ने कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अपीलांट घोर लापरवाही व उदासीनता का ... रहा है, इसलिये अपीलांट विलम्ब को माफ करवा पाने का कतई अधिकारी नही है। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम सव्यय खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जावें। बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:—

1. RRD 2011 Page 228
2. RRD 2012 Page 742
3. RRD 2013 Page 788

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.03 12:14:25 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजरों पर मनन किया गया।

1. अपीलार्थी द्वारा अपील दिनांक 18.09.2024 के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत ईन्तकाल के संबंध में अपील अपीलांट प्रस्तुत होने तक की अवधि तक देरी का कारण स्पष्ट नहीं किया है। प्रश्नगत ईन्तकाल विरास्तन इंतकाल नम्बर 34 चक 18 व 19 एसटीजी दिनांक 26.07.1984 तथा इंतकाल संख्या 707 दिनांक 03.06.2023 जिसकी अपील 18.09.2024 को लगभग 13 माह बाद पेश की गयी है। अपीलांट ने इंतकाल की नकल दिनांक 03.08.2023 को लेने के बाद भी करीब 13 माह बाद प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स एक ही परिवार के वंशज है, इससे अपीलांट ने मना नहीं किया है। ऐसे में बखुबी उक्त अपील के ईन्तकाल की अवश्य जानकारी रही है। माननीय नजीर न्यायालय द्वारा समय–समय यह मत प्रतिपादित किया है कि विलम्ब माफी हेतु दिन–प्रतिदिन विलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा लगभग 13 माह बाद इस ईन्तकाल को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है, जिसका स्पष्ट कारण उल्लेख नहीं किया है। अतः अपील प्रस्तुत करना मियाद बाहर है, अवधि में छूट पाने का हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।
2. अभिभाषक अप्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय की नजीरें विलम्ब से पेश करने पर बखुबी चस्पा होती हैं।

अतः अपील अपीलांट मियाद अवधि से बाहर होने के कारण अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.03 12:14:25 IST
Reason: SelfAttested